UPRN010034882026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग),
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1350/2026

मोहित पुत्र दयानन्द उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी ग्राम अनंगपुर, थाना–सूरजकुण्ड, जिला–फरीदाबाद (हरियाणा)।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....अभियोजन पक्ष।**

मु०अ०सं०–119/2026
धारा–60/63/72 उ०प्र० आबकारी अधि०।
थाना–अरौल, जिला–कानपुर नगर।

दिनांक–01.07.2026

आवेदक/अभियुक्त मोहित की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० –119/2026, अन्तर्गत धारा–60/63/72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, थाना–अरौल, जिला–कानपुर नगर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो आशीष बढ़ाना पुत्र सुनील के शपथपत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक मनीष कुमार के द्वारा थाना–अरौल में दिनांक–01.06.2026 को समय 20:25 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि घटना दिनांक–01.06.2026 को समय 19:00 बजे, स्थान मेडुआ अण्डर पास बह्द ग्राम मुडुआ, थाना–अरौल, जिला–कानपुर नगर के क्षेत्राधिकार में पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त मोहित कार चालक मय वाहन सं० –डी०एल० 3 सी०बी०आर० 5864 को मौके पर पकड़ा गया तथा जामा तलाशी लेने पर पहने पेन्ट की बाई जेब से एक अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी का हरा रंग व दायी जेब से 240 रूपये बरामद हुये जिसके बाद टवेटा कार नं०–डी०एल० 3 सी० बी०आर० 5864 की तलाशी ली गयी तो पिछली सीट व डिग्गी में ब्रांड ROYAL GREEN अंग्रेजी शराब की कुल 416 बोतल(320 फुल प्रति बोतल 750 मि०ली० व 4 कार्टून(96 हॉफ प्रति बोतल 375 मि०ली०) कुल मात्रा 276 लीटर रखी हुयी बरामद हुयी। पकड़े गये व्यक्ति से परिवहन करने के संबंध में लाईसेंस तलब किया गया तो लाईसेंस नहीं दिखा सका और न ही वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रपत्र दिखा सका। पकड़े गये व्यक्ति का गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त नई दिल्ली में एक प्रतिष्ठित निजी लॉजिस्टिक्स/सर्विस कंपनी सुप्रीत रिट्रीट में वैध रूप से चालक के पद पर कार्यरत है और ईमानदारी से अपना जीवनयापन कर रहा है। दिनांक–31.05.2026 को अभियुक्त अपनी कम्पनी के वैध प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन में उक्त वाहन लेकर नई दिल्ली से किसी व्यक्ति को पिकअप करने हेतु बिहार राज्य के लिये रवाना हुआ था। रास्ते में थाना अरौल की पुलिस ने मात्र संदेह के आधार पर अनुचित दबाव बनाने के उददेश्य से अभियुक्त का वाहन रोका तथा मगढ़ंत बरामदगी तैयार कर ली। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक /अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट सं० –03 से दिनांक–05.06.2026 को निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–02.06.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

संबंधित थाने से जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में प्रस्तवार आख्या प्राप्त हुयी।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि संबंधित थाने की पुलिस द्वारा अभियुक्त के

Digitally signed by ANAND PRIYA GAUTAM
Date: 2026.07.01 15:39:40 IST
Reason: Bail.
Location: Add.District and Sessions Court/FTC(14th.Fin.Comm)

कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब(276 लीटर) बरामद हुयी है जिसका मौके पर ई–साक्ष्य ऐप के माध्यम से वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद शराब हरियाणा राज्य में ही बेंचने–खरीदने के लिये ही प्रयुक्त थी। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा तथा समय से न्यायालय हाजिर नहीं होगा। अतः आवेदक/अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मोहित के विरूद्ध धारा–60/63/72 उ०प्र० आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है। मौके से अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त मोहित के कब्जे से कुल 276 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होना पाया जाता है। थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित–15.06.2026 के अनुसार प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त अभियुक्त मोहित के विरूद्ध थाना–सेक्टर–49, जिला–गौतमबुद्ध नगर में मु०अ०सं०–1035/2019 धारा–60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना–सरायख्वाजा, जिला–फरीदाबाद(हरियाणा) में मु०अ०सं०–218/2024 धारा–148,149,323,325,341,506 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–508/2024 धारा–61 पंजाब आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत होना पाये जाते हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त मोहित के दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मोहित दिनांक–01.06.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले की कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि मुकदमें के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मोहित की ओर से मु०अ०सं०–119/2026, अन्तर्गत धारा–60/63/72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, थाना–अरौल, जिला–कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रू०(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर एवं निम्न आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जायेः–

(1). कि वह विवेचना में विवेचन का एवं विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा। आरोप विरचित किये जाने के समय, धारा–313 के बयान अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाता है कि अभियुक्त जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुये उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

(2). कि वह प्रत्येक नियत तिथि को स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(3). कि वह किसी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

(4). कि वह जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

दिनांक–01.07.2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग)
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।